

न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रुड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या-229/2022

महमूद व अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार

दिनांक 15.11.2022-

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। वादीगण अनुपस्थित। नियमित अन्तराल में कई बार पुकार लगायी गयी। वादीगण की ओर से ना तो उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये और ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में वाद अभिलेख पर आज ऐसा कोई आधार विद्यमान नहीं है, जिससे वाद की कार्यवाही स्थगित की जा सके। अतः वाद की उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद वादीगण की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(राजीव धवन)

वरिष्ठ सिविल जज,
रुड़की जिला हरिद्वार।